

परिशिष्ट-1

पेंशन प्रकरणों को निराकृत करने हेतु आवश्यक प्रपत्र व अभिलेखों की सूची

- (1) प्रकरण से संबंधित उपयुक्त प्रपत्र
(अ) प्रपत्र-6-क के साथ प्रपत्र-6-ख

या

- (ब) परिवार पेंशन प्रकरण में प्रपत्र-6 ग के साथ प्रपत्र-6-घ
(2) सेवा पुस्तिका
(3) पेंशन ज्ञात करने के लिय औसत उपलब्धियों का गणना पत्रक-
(उपरोक्त 1(अ) के प्रकरण के संबंध में)
(4) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हस्ताक्षर दो प्रतियों में

या

पेंशन हितग्राही जैसा प्रकरण हो, हस्ताक्षर करने योग्य साक्षर न हो, तो राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित बाये हाथ का अंगूठा तथा अंगुलियों के चिन्ह दो प्रतियों में।

- (5) कार्यालय प्रमुख द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार के संयुक्त छायाचित्र (फोटोग्राफ) चार प्रतियों में (उपरोक्त 1-(अ) के प्रकरण के संबंध में)

या

हितग्राही के पासपोर्ट आकार के अभिप्रमाणित छायाचित्र (फोटोग्राफ) तीन प्रतियों में (उपरोक्त (1) (ब) के प्रकरण के संबंध में)

- (6) पहिचान के चिन्ह एवं उंचाई का अभिप्रमाणित विवरण तीन प्रतियों में (स्वयं पेंशनर अथवा परिवार हितग्राही के जैसा भी प्रकरण हों)

(7) मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपदान के लिये नामांकन पत्र

(8) वसूली की सहमति का घोषणा पत्र

(9) न मांग प्रमाण प्रमाण पत्र ।

(10) अंतिम वेतन प्रमाण पत्र

(11) न घटना प्रमाण पत्र उपरोक्त 1-(अ) के संबंध में यदि पेंशन प्रकरण सेवानिवृत्ति पूर्व प्रस्तुत किया गया है । यह प्रमाण पत्र बाद में भेजा जाना है ।

(12) पेंशन तथा मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान न प्राप्त करने संबंधी घोषणा पत्र

(13) परिवार विवरण प्रपत्र तीन प्रतियों में ।

(14) पेंशन तथा मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपदान की राशि का विभाजन

(15) मध्यप्रदेश के बाहर पेंशन प्राप्त करने की स्थिति में प्रत्याशित पेंशन तथा या मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपदान के भुगतान का विवरण तथा भविष्य के लिए भुगतान बंद करने का प्रमाण पत्र

(16) असक्षमता/असमर्थता पेंशन प्रकरण के संबंध में सक्षम चिकित्सा अधिकारी/ बोर्ड का प्रमाण पत्र संलग्न करना ।